निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1933 (श0)

(सं0 पटना 167) पटना, सोमवार, 2 मई 2011

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

2 मई 2011

सं० एल0जी0-1-02/2011/लेज-90—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 4, 2011]

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

राज्य की जनता को नियत समय–सीमा में अधिसूचित सेवाएँ परिदान कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''अपीलीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जिसे धारा–3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्व–शासन का कोई शामिल है;

(ख) ''नामनिर्दिष्ट लोक सेवक'' से अभिप्रेत है धारा–3 के अधीन सेवा उपलब्ध करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकार और इसमें राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित स्थानीय स्व–शासन एवं संगठनों का कोई शामिल है;

(ग) ''पात्र व्यक्ति'' से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र हो;

(घ) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ङ) ''पुनर्विलोकन प्राधिकार'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जिसे धारा–3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्व–शासन का कोई शामिल है;

(च) ''लोक सेवा का अधिकार'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियत समय–सीमा के अन्दर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ लेने का अधिकार जैसा कि धारा–4 में वर्णित है;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है धारा–3 के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(ज) '' राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(झ) ''नियत समय–सीमा' से अभिप्रेत है धारा–3 के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा सेवा उपलब्ध कराने या अपीलीय प्राधिकार और पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा अपील का विनिश्चय करने हेतु अधिकतम समय।

3. सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, अपीलीय प्राधिकार, और पुनर्विलोकन प्राधिकार तथा नियत समय–सीमा की अधिसूचना।– राज्य सरकार, समय–समय पर, तत्काल सेवा के लिए प्रावधानों सहित, सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों, अपीलीय प्राधिकारों, पुनर्विलोकन प्राधिकारों, नियत समय–सीमाओं और राज्य का क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित कर सकेगी।

4. नियत समय–सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार।– नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, धारा–3 के अधीन अधिसूचित सेवा नियत समय–सीमा में, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

5. नियत समय–सीमा में सेवाएँ उपलब्ध कराना।– (1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के लिए समर्पित किये गये किसी आवेदन को अधिनियम के अधीन आवेदन माना जायेगा। नियत समय–सीमा, यदि धारा–3 के अधीन अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट नहीं किया हुआ हो तो, उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समर्पित किया जाय। ऐसे आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामनिर्दिष्ट लोक सेवक नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

6. अपील।– (1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा–5 की उप–धारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस दिनों के अन्दर या नियत समय–सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार द्वारा, ऐसी अपील दाखिल किये जाने की सम्यक अभिस्वीकृति अपीलकर्त्ता को उसकी हस्ताक्षरित प्राप्ति उपलब्ध कराकर दी जायेगीः

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकार तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया थाः

परन्तु यह और कि धारा–3 के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत समय सीमा से अधिक विलम्ब की स्थिति में आवेदक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलम्ब के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु यह और भी कि किसी सेवा के लिए किसी आवेदन जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि उपचार विहित करता है, की अस्वीकृति की दशा में, आवेदक तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधि के अधीन प्रक्रिया अपनायेगा।

(2) (क) अपीलीय प्राधिकार नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को विनिर्दिष्ट अवधि में सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश दे सकेगा या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(ख) सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के साथ, अपीलीय प्राधिकार इस अधिनियम की धारा–7 के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा :

परन्तु यह कि पुनर्विलोकन प्राधिकार 60 (साठ) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी द्वितीय अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(4) यदि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक धारा–6 की उप–धारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक पुनर्विलोकन प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन द्वितीय अपील के लिए विहित रीति से किया जायेगा।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय अपीलीय प्राधिकार तथा पुनर्विलोकन प्राधिकार को निम्नांकित मामलों में, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होता है, यथा–

(क) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण की अपेक्षा करने;

(ख) नामनिर्दिष्ट लोक सेवक एवं अपीलकर्त्ता को सुनवाई के लिए सम्मन जारी करने; तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(6) किसी अपीलीय कार्यवाही में, किसी विलम्ब या सेवा देने से इनकार को न्यायोचित ठहराने का भार, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार, जिसने विलम्ब किया या सेवा देने से इनकार किया, पर होगा।

7. दंड।– (1) (क) जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहा है, तो वह इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित, समय–समय पर निर्धारित दर से, कोई एकमुश्त दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक ने सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया है, तो वह ऐसे विलम्ब के लिए नामनिर्दिष्ट लोक सेवक पर समय–समय विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह कि उसपर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहाँ पुनर्विलोकन प्राधिकार की राय हो कि अपीलीय प्राधिकार, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, नियत समय–सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह अपीलीय प्राधिकार पर समय–समय पर विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु यह कि उस पर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अधिरोपित दंड, यथास्थिति नामनिर्दिष्ट लोकसेवक, अपीलीय प्राधिकार एवं संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों पर भारित होगा और यथास्थिति, अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किये गये अनुपात में, तथा इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित, होगा।

(4) अधिरोपित ऐसा दंड पूर्व से अस्तित्व वाले किसी अन्य अधिनियम, नियमावली, विनियमावली एवं अधिसूचनाओं में विहित किये गये के अतिरिक्त होगा।

8. अननुपालन का अवचार की श्रेणी में आना।– अपीलीय प्राधिकार के आदेशों, जब तक कि वह द्वितीय अपील में लम्बित नहीं हो या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा उपांतरित नहीं किया गया हो, या पुनर्विलोकन प्राधिकार के आदेशों का अननुपालन अवचार की श्रेणी में आयेगा तथा संबंधित व्यक्ति को, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अधिकथित नियमों सहित, आनुषंगिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई का भागी बनायेगा।

9. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।– इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में कोई सिविल न्यायालय कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट किसी अपील के सिवाय अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

10. अपीलीय प्राधिकार को आवेदन सीधे भेजने की राज्य सरकार की शक्ति।– अधिनियम के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार, प्रावधानों का अननुपालन अभिकथित करता हुआ कोई आवेदन पाती है, तो वह उसे अधिनियम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार को सीधे भेज सकेगी।

11. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण।– किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी चीज के लिए, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो या किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

12. अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होना।– इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं एवं इसके कार्यान्वयन के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, कोई चीज असंगत होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा।

13. नियमावली बनाने की शक्ति।– (1) राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

14. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।– यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

2 मई 2011

सं० एल०जी०–1–02/2011–लेज–91––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रील 2011 को अनुमत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, अधिनियम 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।